समाहरणालय, मधेपुरा।

(विधि शाखा)

-: आदेश :-

सचिव (न्याय), वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या- 3727 दिनांक 30-04-2009 के द्वारा सभी कार्यालय प्रधान को यह निदेश दिया गया है कि विभिन्न न्यायिक मामलों में राज्य की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक भुगतान पर सुयोग्य अधिवक्ता/ सेवानिवृत पदाधिकारी/ कर्मियों की सेवा ले सकते हैं।

उक्त निदेश के आलोक में मधेपुरा जिला के लिए विभिन्न न्यायिक मामलों में राज्य की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु श्री अशोक कुमार कर्ण पे0 स्व0 सत्यदेव लाल कर्ण, अधिवक्ता, अधिवक्ता का वेश्म सं0-71, बिहार बार कॉउन्सिल भवन, पटना उच्च न्यायालय, पटना को अधिकृत किया जाता है, जिनका मोबाईल नं0- 9835454257, 9835954257 एवं मेल (आई0डी0) सं0- ashoklal1967@gmail.com है। तैयार तथ्य विवरणी के पारिश्रमिक का भुगतान "1305- विधि प्रभार" मद से किया जाऐगा।

सभी संबंधित कार्यालय प्रधान से अनुरोध है कि अपने-अपने विभागीय न्यायिक मामलों में अधिकृत अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर तथ्य विवरणी तैयार कराने हेतु अनुवर्त्ती कार्रवाई करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 1285 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 7-10-2015

प्रतिलिपि : सभी विभागीय कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री अशोक कुमार कर्ण पे0 स्व0 सत्यदेव लाल कर्ण, अधिवक्ता, अधिवक्ता का वेश्म सं0-71, बिहार बार कॉउन्सिल भवन, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 1305 /विधि, मधेपुरा दिनांक 09/10/15

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को ई-मेल के माध्यम से भेजने की कृपा की जाय।

9.10.15

प्रभारी पदाधिकारी

जिला विधि शाखा, मधेपुरा।